संख्या–783 /।।।(3)/2018–01(एन0एच0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 वी0 षणमुगम
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–मुख्य अभियन्ता,
रा0राजमार्ग एवं सेतु
गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– मुख्य अभियन्ता,
रा0राजमार्ग एवं सेतु,
कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

4–परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता,
ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः20 अगस्त, 2018

विषय– आर्बीट्रेशन वाद हेतु आर्बिट्रेटर की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था एवं सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद से सम्बन्धित आर्बीट्रेशन वाद हेतु आर्बिट्रेटर की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में शासन से की जाने वाली जिज्ञासा/पृच्छाओं का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– ज्ञातव्य है कि उपरोक्तानुसार उत्पन्न विवादों के निस्तारण हेतु मध्यस्थता के लिये नियुक्त मध्यस्थतों (आर्बिट्रेटर) के मानदेय/शुल्क की दरों की अनुमन्यता का पूर्व में आर्बिट्रेशन फीस निर्धारण विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.8.2015 को संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त, कार्यालय ज्ञाप सं0 3887/।।।(2)/18–41(रि0या0)/2013 दिनांक 31.7.2018 के निर्गत किया गया है(संलग्न प्रति)।

3– अतः इस सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.7.2018 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार समयबद्ध रुप में अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 वी0 षणमुगम)
अपर सचिव।

संख्याः (3)/।।।(3)/18 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0/ए0डी0बी0, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या 3887/III(2)18–41(रि0या0)/2013
देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुनर्निर्धारण**

कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें, निर्धारित की गयी थी।

2– वर्तमान में मध्यस्थों की उचित मानदेय की दरें पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए समुचित विचारोपरान्त नियुक्त सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय की निम्नानुसार संशोधित दरें श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमन्य करते हैं :–

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्थता में सुनवाई के लिये प्रतिदिन की दरे से मानदेय, जोकि अधिकतम सीमान्तर्गत निम्नानुसार देय होगी :–

क्र0 सं0	दावे(Claim)की धनराशि	स्थानीय सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अन्य स्थान पर सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अधिकतम मानदेय की धनराशि
1	05 करोड़ तक	4000/–	6000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 4.00 लाख, जो भी कम हो।
2	05 करोड़ से 10 करोड़ तक	7500/–	10000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 8.00 लाख, जो भी कम हो।
3	10 करोड़ से अधिक	10000/–	12500/–	रू0 12.00 लाख।

3– आर्बीट्रेशन की सुनवाई के दिनों में रीडिंग, सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल व अवार्ड के प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज के रूप में वास्तविक व्यय देय होगा, जो कि निम्नानुसार अधिकतम सीमान्तर्गत होगा :–

रीडिंग चार्जेज,	अधिकतम सीमा ₹ 5000
सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000
प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000

4– कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5— उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–229/XXVII/(2)/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 3887/III(2)18–41(रि0या0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त वृत्त/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. लोक निर्माण अनुभाग–1 व 3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव